मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-28.06.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ एवं पेंशन से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। इसमें अपने विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यासजी को निदेशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में वादों एवं अवमाननावादों की अधिक संख्या रहने के कारण उसे विभाग स्तर पर सप्ताहिक समीक्षा कर कम किया जाय तथा लम्बित मामलों में 8 सप्ताह के अन्दर सभी में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाय। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहायकों की भारी कमी का जिक्र किया गया तथा सभी वादों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने का आवश्वासन दिया गया।

3. जल संसाधन विभाग में भी वादों एवं अवमाननावादों की अधिक संख्या रहने के कारण उसे विभाग स्तर पर सप्ताहिक समीक्षा कर कम करने का निदेश दिया गया, जिस पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा पदाधिकारी एवं कर्मचारी की कमी बतायी गयी। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग एवं मुख्य अभियंता, रूपांकण के कार्यालय में बहुत से पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ से विभाग में प्रतिनियुक्त कर लम्बित सभी मामले में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाय।

4. लघु जल संसाधन विभाग से मनोनित प्रतिनिधि श्री संजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 के संबंध में सही उत्तर नहीं देने के कारण मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया।

5. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर सभी में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे साथ ही उक्त समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है, अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला

न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

7. मुख्य सचिव के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि ज्यादातर मामले सेवा, सेवान्त लाभ एवं प्रोन्नति से संबंधित होते है। अत: ज्यादातर निष्पादन विभाग स्तर पर समय पर हो जाने से मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी। अत: इन मामलों का अनुश्रवण विभाग में करें तथा प्रत्येक माह सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ताकि इनका अनुश्रवण मुख्य सचिव के स्तर पर भी प्रत्येक माह किया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

3.7.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4881 जे0 पटना, दिनांक- 04.07.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4881 जे0 पटना, दिनांक- 04.07.13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।